न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 02/2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्रीमती वनकी पत्नि श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री पोपट पुत्र श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्री कालू पुत्र श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिराही।
4. श्री काना पुत्र श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
5. मृतक श्री हीमा पुत्र श्री दीताराम जाति भील के कायम मुकाम–
   - 5.1 श्रीमती वनकी पत्नि श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 5.2 श्री पोपट पुत्र श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 5.3 श्री कालू पुत्र श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 5.4 श्री काना पुत्र श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 5.5 श्री सतिया पुत्र श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 5.6 श्री भारत पुत्र श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 5.7 श्री मुन्ना पुत्र श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 5.8 सुश्री जसकी पुत्री श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 5.9 सुश्री ममता पुत्री श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
6. श्री सतिया पुत्र श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
7. श्री भारत पुत्र श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
8. श्री मुन्ना पुत्र श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिराही।
9. सुश्री जसकी पुत्री श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
10. सुश्री ममता पुत्री श्री दीताराम जाति भील निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)
2. श्री चन्द्रप्रकाशसिंह कूम्पावत, अप्रार्थी अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 31.07.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा उमरणी पटवार मण्डल मानपुर, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 379 रकबा 1.11 बीघा किस्म नहरी–1 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश कमांक/राजस्व अभियान/86/1–3 दिनांक 30.04.1986 द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री दीता पुत्र श्री बदा जाति भील को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण दिनांक 12.01.1987 को तहसीलदार आबूरोड द्वारा श्री दीता पुत्र श्री बदा जाति भील के नाम दर्ज की गई, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया। श्री दीता पुत्र श्री बदा जाति भील की फौत हो जाने से उनके वारिसानों को प्रकरण में पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाशसिंह कूम्पावत द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 379 रकबा 1.11 बीघा किस्म नहरी–1 भूमि का आवंटन श्री दीता पुत्र श्री बदा जाति भील को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है। श्री दीता पुत्र श्री बदा जाति भील की फौत हो जाने से उनके वारिसानों को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाशसिंह कूम्पावत द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वर्तमान में मौके पर खसरा संख्या 379 रकबा 1.11 बीघा किस्म नहरी–1 पर अप्रार्थीगण व उनके पिता श्री दीता का कब्जा काश्त है। यह है कि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी को आवंटन हुई थी एवं आवंटन के समय से ही अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी एवं अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं उक्त आवंटन किए हुए 36 वर्षों की अवधि गुजर चुकी है, जबकि अप्रार्थीगण आवटंन के समय से ही मौके पर काबिज होकर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की देखरेख में काश्त करता आ रहा है एवं मौके पर काबिज है। प्रार्थी द्वारा गलत रिपोर्ट बना कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि कानूनन आवंटन हुए कृषि आराजी को 36 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है एवं कानूनन खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है जबकि राजस्व अधिकारियों का यह दायित्व था कि कृषि भूमि को आवंटित होने के 3 वर्ष पश्चात राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज करना चाहिए था, जो राजस्व अधिकारियों की भूल से दर्ज नहीं हो पाये, बल्कि कानूनन में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आंवटन होने के 3 वर्ष पश्चात आंवटित के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज करने चाहिए थी ऐसी स्थिति में स्वतः ही खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं कानूनन खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आंवटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह है कि आंवटन उस स्थिति में निरस्त किया जा सकता है जो आंवटित द्वारा कपटपूर्वक फर्जी तरीके से आवंटन कराया हो, जबकि प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई आरोप नहीं है। यह है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त कृषि आराजी बाबत् भू–राजस्व की वसूली भी अनेकों बार की गई है एवं प्रश्नगत भूमि में से दो ईयर भूमि जी.एस.पी.एल. इण्डिया गैस लिमिटेड द्वारा अवाप्त की गई थी, जिसका मुआवजा भी अप्रार्थीगण को अदा किया गया था। यदि भौतिक रूप से पटवारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया होता तो उसे उस उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का काबिज होना तथा भूमि अवाप्ति किए जाने का तथ्य भी जानकारी में होता। यह है कि प्रश्नगत भूमि नहर से सिंचित होती है अथवा बरसाती खेती होती है, जब–जब भी अच्छी वर्षा हुई है अथवा नहर से पानी मिला है, अप्रार्थीगण द्वारा भूमि में खेती की गई है और उक्त तथ्य प्रार्थी के ही कर्मचारी पटवारी हल्का द्वारा की गई गिरदावरी रिपोर्ट से साबित है। प्रार्थी द्वारा आधारहीन तथ्यों पर बदनियती से उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि कृषि भूमि आंवटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश क्रमांक/राजस्व अभियान/86/1–3 दिनांक 30.04.1986 द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री दीता पुत्र श्री बदा जाति भील को आवंटन को मौजा मौजा उमरणी पटवार मण्डल मानपुर, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं.' 379 रकबा 1.11 बीघा किस्म नहरी–1 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है, जिसकी पालना में आंवटित भूमि का कब्जा सुपूर्द किया जाकर नामान्तरकरण दिनांक 12.01.1987 के द्वारा आवंटित भूमि राजस्व रेकर्ड में आंवटी श्री दीता पुत्र श्री बदा जाति भील के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज की गई।

प्रार्थी पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं किया है एवं आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है। जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आंवटित भूमि पर अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्व रसाधिकारियों का कब्जा काश्त आंवटन के समय से चला आ रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर लगातार काश्त की जा रही है एवं मौके पर आज भी काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से आवंटन शर्तों का उल्लघंन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी के अवलोकन से

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

यह स्पष्ट है कि संवत 2045 से 2048, 2049 से 2052, 2053 से 2056, 2057 से 2060, 2061 से 2064, 2065 से 2068, 2069 से 2072 में उक्त आंवटित भूमि पर काश्त होना दर्ज है। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है एवं मौके पर काबिज है। प्रार्थी पक्ष के द्वारा भी ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया हो, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी में उक्त आवंटित भूमि पर काश्त होना दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 22.06.2016 में भी पटवारी हल्का मानपुर द्वारा उक्त खसरा संख्या 379 पर अप्रार्थीगण का कब्जा होना बताया है एवं अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार देने की अभिशंषा भी की है। प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत विधिक दृष्टांत RRT 2001(2) Page 999 में माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर ने यह प्रतिपादित किया है कि 30 वर्ष पूर्व भूमि आंवटित हुई, दस वर्ष बाद आवंटित खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है, 30 वर्ष बाद आंवटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। विधिक दृष्टांत RRT 2001(2) Page 1219 में माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर ने यह प्रतिपादित किया है कि 16 वर्षों के बाद आवंटन का निरस्त करना एवं आवंटी को आवंटित भूमि से बेदखल करना न्याय के साथ कुठारघात होगा। इसी प्रकार विधिक दृष्टांत RRT 2014(2) Page 1150, RRT 2016(1) Page 82, RRT 2019(2) Page 838 एवं RRT 2021(2) Page 1029 में भी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा काफी वर्षों के बाद आवंटन को निरस्त करना न्यायोचित नहीं माना है।

चूंकि विचारणीय प्रकरण में भी प्रश्नगत भूमि का आवंटन हुए लगभग 36 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इस प्रकार, अप्रार्थीगण के प्रश्नगत भूमि पर अधिकारों को समाप्त करने में पर्याप्त विलम्ब हो चुका है। ऐसी स्थिति में, उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner